भारतीय कपास निगम लिमिटेड/THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
भारत सरकार का उपक्रम, वस्त्र मंत्रालय /A Govt. of India Undertaking, Ministry of Textiles
प्लॉट नंबर 27,चन्द्रमौलि बिल्डिंग ,वीर सावरकर चौक, सम्राट नगर, शाहनुरवाड़ी रोड,
छत्रपति संभाजीनगर ,महाराष्ट्र- 431005
Plot No. 27, Chandramauli Building, Veer SawarkarChowk,
Samrat Nagar, Shahnoorwadi Road, Chhatrapati
Sambhaji Nagar (CIN-U51490MH1970GOI014733)
Phone No. (0240) 2361451 Email- aurangabad@cotcorp.com

क्रमांक:भाकनि/ छत्रपति संभाजीनगर /प्रशासन /टैक्सी टेंडर/ 2025-26/ दिनांक: 09.01.2026

टैक्सीयों को किराये पर लेने हेतु निविदा

निविदा सूचना

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय छत्रपति संभाजीनगर के लिए प्रतिष्ठित **टैक्सी सर्विस** प्रदाता से छत्रपति संभाजीनगर शाखा द्वारा भेजी जाने वाली **टैक्सीयों को किराये पर लेने हेतु निविदा** आमंत्रित करता है । निविदा दस्तावेज़ हमारे उपरोक्त पते से किसी भी कार्य दिवस के दिन प्राप्त कर सकते है । अथवा हमारी वेबसाईट www.cotcorp.org.in या गवर्नमेंट टेंडर पोर्टल www.eprocure.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है । **टैक्सी** एजेंसी / एजेंसीज को निविदाकर्ताओं को ईएमडी के रूप में 5000/- रुपये (केवल पाच हजार रुपये) ऑनलाइन भुगतान/डीडी के माध्यम से **"द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड"** के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के माध्यम से बैंक ओफ बडौदा, **बैंक अकाउंट न. 37770500000053 ,IFSC No :- BARB0SAHAUR** से राशि जमा करवाना सुनिचित करे जमा करवाना होगा । मुहरबंद निविदा जिस पर **टैक्सी किराये हेतु निविदा** लिखा हो उक्त को महाप्रबंधक को उपरोक्त पते पर दिनांक **30-01-2026** को **02.30** बजे तक पहुंचना चाहिये अथवा कार्यालय की निविदा पेटी में डाली जा सकती है । निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दिनांक **30-01-2026** को **03.00** बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा । निगम किसी भी निविदा /सभी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है । फिर भी निविदाकर्ता निगम से निविदा अस्वीकार करने का कारण पूछ सकता है ।

महाप्रबंधक

<u>टैक्सियों को किराये पर लेने हेतु निविदा</u>

<u>(विशेष विवरण)</u>

तकनीकी बोली:1

बोली दाता का विवरण

1) संगठन/फर्म का नाम:-	
2) स्वामित्व का प्रकार , एकल ,साझेदारी फर्म या एक कंपनी है।	
3) यदि साझेदारी फर्म तो (Partnership deed संलग्न करे	
4) यदि एक कंपनी है तो क॰ रजिस्ट्रेशन न॰ (Certificate of incorporation संलग्न करे	
i) स्थापना का वर्ष :-	
ii)पंजीक्रत पता :-	
5) शाखा कार्यालय **छत्रपति संभाजीनगर** का पता:- (फोन ईमेल ईद के साथ)	
6) संपर्क व्यक्ति :- नाम फोन ईमेल	
7) संगठन/फर्म का जीएसटी न॰ (प्रति संलग्न करें)	
8) संगठन/फर्म का पैन न॰ (प्रति संलग्न करें)	
9) संगठन/फर्म का license न॰ if any (प्रति संलग्न करें)	
10) क्या ट्रैवल/टैक्सी एजेंसी के पास किराए पर टैक्सियाँ उपलब्ध कराने का न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव है: **(यदि हाँ, तो कृपया संबंधित ग्राहक/ग्राहक/कंपनी से प्राप्त दस्तावेज़/प्रमाणपत्र संलग्न करें।)**	हाँ / नहीं
11) क्या ट्रैवल/टैक्सी एजेंसी के पास न्यूनतम 5 टैक्सियों का बेड़ा है:	हाँ / नहीं

यदि हां, तो निम्नलिखित विवरण दिया जाए: (अलग शीट संलग्न की जा सकती है) स्वप्रमाणित स्मार्ट कार्ड / आरसी बुक की फोटोकॉपी संलग्न की जानी चाहिए।

Sr.No.	Type of the Car	Reg. No.	Model (year)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

ब). सामान्य जानकारी

I.	क्या आपको किसी PSU अथवा GOVT के किसी विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया है	
II.	क्या सीसीआई मे आपका कोई सगा संबधि कार्यरत है (यदि हा तो विवरण दे)	
III.	बैंक का नाम एवं न। IFSC के साथ : (चेक की प्रति संलग्न करें)	

<u>नियम व शर्त</u>

1. निविदाकर्ता (टैक्सी/ट्रैवल एजेंसी) को कार्यालय द्वारा टैक्सी की आवश्यकता के बारे में पहले से ही सूचित किया जाएगा और निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि टैक्सी पूर्व निर्धारित तिथि और समय पर संबंधित अधिकारी/अतिथि के पास पहुंचनी चाहिए।

2. निविदाकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेवाओं के लिए प्रदान की जा रही टैक्सी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए और टैक्सी का मॉडल 2019-20 से पुराना नहीं होना चाहिए और भेजी जाने वाली टैक्सी में डीज़ल ,पेट्रोल , हवा आदि की पूरी तरह से जाँच की जानी चाहिए।

3. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि टैक्सी के साथ भेजे जा रहे ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दुर्व्यवहार की किसी भी घटना के परिणामस्वरूप अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

4. यदि निविदाकर्ता किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में टैक्सी अन्य स्रोतों से किराए पर ली जाएगी और यदि कोई अंतर होगा तो निविदाकर्ता से राशि की वसूली की जाएगी।

5. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदान की गई टैक्सी का बिल यात्रा की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए एवं शाखा द्वारा भुगतान आवश्यक टीडीएस की कटौती के बाद बिल जमा करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर किया जाएगा ।

6. निविदाकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बिल के साथ लॉग बुक संलग्न की जानी चाहिए, जिसमें आरंभिक किलोमीटर/दिनांक, समापन किलोमीटर/तिथि निर्दिष्ट करने के साथ-साथ टैक्सी का उपयोग करने वाले निगम के अधिकारियों/अतिथि के नाम और हस्ताक्षर भी शामिल होने चाहिए।

7. यात्रा के दौरान, निविदाकर्ता को टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क आदि का भुगतान सुनिश्चित करना होगा और बिल जमा करते समय सभी पर्चियां बिल के साथ संलग्न करनी होंगी और तदनुसार भुगतान किया जाएगा। निगम द्वारा कोई अन्य शुल्क जैसे रात्रि शुल्क, ओवरटाइम शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

8. निविदाकर्ता को प्रति किलोमीटर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) और सभी करों सहित ड्राइवर भत्ता, रात्रि प्रवास शुल्क और ओवरटाइम शुल्क शामिल करना होगा। निविदाकर्ता को एकमुश्त दर उद्धृत करनी होगी ।

9. हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन तक पिक-अप/ड्रॉप सुविधा के लिए, यदि उड़ान या रेल पहुंचने में देरी होती है तो सीसीआई देरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देगा।

10. यदि टैक्सी को **छत्रपति संभाजीनगर** जिले में स्थानीय परिवहन के लिए किराए पर लिया जा रहा है, तो भुगतान न्यूनतम 80 किलोमीटर के आधार पर किया जाएगा, और लंबी दूरी के दौरे के लिए टैक्सी का उपयोग करने की स्थिति में, न्यूनतम बिल न्यूनतम 250 किलोमीटर के आधार पर तय किया जाएगा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टैक्सी बुक करते समय, उपयोग का तरीका यानि A.C./ बिनाA.C. सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निविदाएं और ड्राइवर स्लिप में भी इसका उल्लेख किया जाना चाहिए और साथ ही वित्तीय बोली II में उल्लिखित दरों के अनुसार बिल बनाया जाना चाहिए।

11. उद्धृत दरें **दो वर्ष** की अवधि के लिए वैध होंगी और यदि सेवा प्रदाता का कार्य संतोषजनक पाया जाता है, तो इसे उसी अंतिम दर पर अगले एक (1) वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और यदि यह संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित सेवा प्रदाता की निविदा रद्द कर दी जाएगी।

12. निगम की आवश्यकतानुसार निविदाकर्ता को एक ही दिन में एक से अधिक टैक्सियों की आपूर्ति भी करनी होगी। यदि निविदाकर्ता अपनी स्वयं की टैक्सी की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है तो वह अन्य स्रोतों से टैक्सी किराए पर ले सकता है और उसकी आपूर्ति कर सकता है। हालाँकि ऐसी टैक्सियों के लिए दरों का भुगतान निविदा में दी गई अंतिम दरों के आधार पर किया जाएगा।

13. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि निगम को किराए पर उपलब्ध करायी जाने वाली सभी टैक्सियों के पास वैध आर.सी. होनी चाहिए। बुक/स्मार्ट कार्ड, उचित बीमा कवर होना चाहिए और टैक्सी में ड्राइवर के पास पीयूसी प्रमाणपत्र मौजूद होना चाहिए।

14. निविदाकर्ता द्वारा निगम को की गई किसी भी देरी/क्षति के लिए, निविदाकर्ता क्षति/नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

15. ट्रैवल/टैक्सी एजेंट को संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर कार्य आवंटित किया जाएगा और यदि उसका कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो निगम को कोई और कार्य आवंटित नहीं करने का अधिकार सुरक्षित है।

16. किसी विशेष श्रेणी की टैक्सी के लिए उनके द्वारा उद्धृत न्यूनतम दरों के आधार पर कार्य एक से अधिक निविदाकर्ताओं को आवंटित किया जा सकता है।

17. निविदा पर आवश्यक प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। सभी दस्तावेजों पर मुहर लगी होनी चाहिए और निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी भी दस्तावेज के अभाव में आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।

18. झूठी, अधूरी या अपर्याप्त जानकारी वाली निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।

19. वित्तीय बोली II केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की खोली जाएगी जो तकनीकी बोली I में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करेंगे।

20. निगम किसी भी/सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, हालांकि, निविदाकर्ता निगम से अपनी निविदा को अस्वीकार करने का कारण पूछ सकते हैं।

21. यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वह **छत्रपति संभाजीनगर** स्थित निगम के शाखा कार्यालय **छत्रपति संभाजीनगर** के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

22. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के बीच और सीपीएसई और सरकारी विभागों/संगठनों के बीच वाणिज्यिक अनुबंध के प्रावधानों की व्याख्या और आवेदन से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, ऐसे विवाद या मतभेद इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिचालित मौजूदा नियम बल के अनुसार एएमआरसीडी के माध्यम से किसी भी पक्ष द्वारा समाधान के लिए कदम उठाया जाएगा।

23. वेब-साइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले निविदाकर्ताओं द्वारा घोषणा:

भारतीय कपास निगम लिमिटेड/THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
भारत सरकार का उपक्रम, वस्त्र मंत्रालय /A Govt. of India Undertaking, Ministry of Textiles
प्लॉट नंबर 27,चन्द्रमौलि बिल्डिंग ,वीर सावरकर चौक, सम्राट नगर, शाहनुरवाड़ी रोड,
छत्रपति संभाजीनगर ,महाराष्ट्र- 431005
Plot No. 27, Chandramauli Building, Veer SawarkarChowk,
Samrat Nagar, Shahnoorwadi Road, Chhatrapati
Sambhaji Nagar (CIN-U51490MH1970GOI014733)
Phone No. (0240) 2361451 Email- aurangabad@cotcorp.com

मैं/हम घोषणा करते हैं कि डाउनलोड की गई जानकारी/निविदा प्रपत्र मूल है और मूल निविदा दस्तावेजों से भिन्न होने की स्थिति में, निगम द्वारा मेरे निविदा दस्तावेजों को अस्वीकार कर किया जा सकता है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता एवं मुहर : _____

संपर्क दूरभाष/मोबाइल नंबर: _____

टिप्पणी:

- सभी कारों के लिए केवल एक ही दर लागू होगी (श्रेणीवार)
- उपरोक्त दरों में सभी कर / आकस्मिक व्यय / वाहन चालक (भत्ता) आदि शामिल हैं।
- उपरोक्त दरें कार्य आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि या अगली निविदा के अंतिम रूप देने तक वैध हैं।
- उपरोक्त दरें सभी नियम एवं शर्तों के अवलोकन के बाद दी गई हैं।

(कपास वर्ष-2026) 2 वर्ष के लिए किराए पर टैक्सियाँ लेने के लिए निविदा प्रस्तुत करने की सूची की जाँच करें।

निविदा जमा करने से पहले निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित बिंदुओं की जांच करनी चाहिए:

1. क्या ट्रैवल/टैक्सी एजेंसी के स्वामित्व वाले वाहन की सूची निविदा के साथ संलग्न है। हां / नहीं

2. क्या बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार तकनीकी बोली-1 के साथ किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराने में न्यूनतम पांच वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न है। हां / नहीं

3. क्या निविदा दस्तावेज विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हैं । हां / नहीं

भारतीय कपास निगम लिमिटेड/THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
भारत सरकार का उपक्रम, वस्त्र मंत्रालय /A Govt. of India Undertaking, Ministry of Textiles
प्लॉट नंबर 27,चन्द्रमौलि बिल्डिंग ,वीर सावरकर चौक, सम्राट नगर, शाहनुरवाड़ी रोड,
छत्रपति संभाजीनगर ,महाराष्ट्र- 431005
Plot No. 27, Chandramauli Building, Veer SawarkarChowk,
Samrat Nagar, Shahnoorwadi Road, Chhatrapati
Sambhaji Nagar (CIN-U51490MH1970GOI014733)
Phone No. (0240) 2361451 Email- aurangabad@cotcorp.com

वित्तीय बोली:II

1 पार्टी का नाम एवं पता :- _____

2 फोन नंबर :- _____

Sr .No	Type of Category	Rate (Rs. /K.M)	Minimum Kms (Out Station)	Minimum Kms (for local)		Airport /Railway station
				80 Km for 10 hours	After 10 hours rate per hour	Pickup and drop
1	CATEGORY-I **(AC)** (DZIRE, AURA, CIAZ)					
	CATEGORY-I **(NON AC)** (DZIRE , AURA,CIAZ) etc. all sedan Car.					
2	CATEGORY-II (AC) (ERTIGA,BOLERO, SCORPIO)					
3	CATEGORY-III (NON AC) (INNOVA CRYSTA)					
4	FORTUNER & PREMIUM VEHIELE					

स्थान : छत्रपति संभाजीनगर पार्टी के हस्ताक्षर और मुहर

नोट : 1.सभी कारों के लिए केवल एक ही शुल्क होगा (श्रेणीवार) I

2.उपरोक्त दरों में सभी कर /आकस्मिक खर्च /वाहन चालक भत्ता आदि शामिल है I

3.उपयुक्त दरें कार्य आदेश की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगली निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक वेध है I उपरोक्त दरें सभी नियमों और शर्तो की जांच के बाद दी गई है I